<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/एलआर/608/2002/पाली</u>

भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूदनी तहसील बाली जिला पाली

अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली
2 सोनीकवंर बेवा जयसिंह
3 कानसिंह पुत्र जयसिंह
4 अर्जुनसिंह पुत्र जयसिंह
5 जालमसिंह पुत्र जयसिंह
6 भवंरसिंह पुत्र जयसिंह
7 स्वरूपसिंह पुत्र जयसिंह सभी जाति राजपूत निवासी दूदनी
8 दाकूकवंर दुख्तर जयसिंह जोजे भवंरसिंह राजपूत निवासी ठाकुरजी गुडा तहसील देसूरी जिला पाली
9 गुलाब कवंर दुख्तर जयसिंह जोजे खीमसिंह निवासी हिगोला तहसील मारवाड जंक्शन पाली

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री डूंगरसिंह वकील अपीलार्थी
श्री विरेन्द्रसिंह पंवार उप राजकीय अभिभाषक
श्री ओ.एल.दवे वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.13.6.2018</u>

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 118/99 मे पारित निर्णय दिनांक 7.11.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी मृतक जयसिंह वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 के पूर्वाधिकारी के पक्ष में पत्रावली संख्या 170/78 आदेश दिनांक 20.6.78 से ग्राम दूदनी की आराजी खसरा नम्बर 391 मे 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया। इसके विरूद्व

अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.11.2001 अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का नियमन किन नियमों में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है जिससे नियमन आदेश को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2020 तक में विवादित भूमि पर जयसिंह के साथ अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम अंकित है जिससे अपीलार्थी के पूर्वजों एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों का संयुक्त कब्जा काश्त होना साबित होता है जबकि नियमन अकेले जयसिंह के नाम किया गया है जो कब्जे की जांच किये बिना किया गया है। जवाई कमाण्ड क्षेत्र में नियमों में नियमन का प्रावधान ही नहीं है जिससे भी नियमन आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि नियमन आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम में किया गया है एवं तथ्यों को छीपाकर कराया जाना साबित नहीं होता है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का नियमन दिनांक 20.6.78 को किया गया है जिसके विरूद्ध वर्ष 1990 में लगभग 12 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि नियमन के समय विवादित भूमि पर अपीलार्थी अथवा अन्य किसी का कब्जा नहीं होकर मात्र जयसिंह का अकेले का ही कब्जा काश्त था एवं वह नियमन का पात्र था। नियमन विधिवत आवंटन सलाहकार समिति में किया गया है। अपीलार्थी का प्रथम अपील में यह आधार रहा है कि नियमन में उसका नाम भी जोडा जावे। नियमन को 12 वर्ष चुनौति दी गई है जो नहीं दी जा सकती। जवाई उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1978 के उप नियम 2 में इस नियम के प्रभावी होने से पूर्व किये गये समस्त आवंटन इन नियमों के तहत किये गये माने गये हैं। जिससे यह नियमन विधि अनुरूप है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवंटन कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 20.6.78 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पत्रावली संख्या 170/78 में जयसिंह समथरसिंह राजपूत दूदनी को खसरा नम्बर 391 में 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नियमन पूर्ण कोरम में किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा उक्त नियमन आदेश को वर्ष 1990 में इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चुनौति दी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा नियमन आदेश के लगभग 12 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। नियमन सलाहकार समिति ने विवादित भूमि पर वक्त नियमन जयसिंह का कब्जा काश्त होने को आधार मानकर नियमन किया है। अपीलार्थी का यह तर्क कि विवादित भूमि पर जयसिंह के साथ उनके पूर्वजों का भी कब्जा काश्त रहा है, मानने योग्य नहींहै क्योंकि यदि उनका कब्जा काश्त होता तो नियमन के 12 वर्ष तक वे चुप नहीं रह सकते थे एवं नियमन को तुरंत ही चुनौति देते।

अपीलार्थी का एक अन्य तर्क यह रहा है कि जवाई उपनिवेशन क्षेत्र में नियमन का प्रावधान नहीं है एवं यह निमयन किन नियमों में किया गया है, स्पष्ट नहीं होने से विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि प्रथम तो नियमन की तिथि 20.6.78 को जवाई उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1978 प्रभावी नहीं थे। द्वितीय इन नियम 1978 के उप नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व किये गये समस्त आवंटन इन नियमों के तहत किये हुए माने जावेंगें। इस नियम 1978 के प्रभावी होने से पूर्व कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रभावी थे तथा इन नियमों के नियम 20 में नियमन का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में इस नियमन को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यें का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 7.11.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य